उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 1590/VII-1/2015/158-ख/2004
देहरादून : दिनांकः 7 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

प्रदेश में खनिजों के परिवहन हेतु वाहनों की भार क्षमता के अनुसार अवैध परिवहन पर आरोपित की जानी वाली धनराशि को शमन किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम 13 के उप नियम (2) में खण्ड (ज) अतिरिक्त प्राविधान जोड़ते हुए निम्नानुसार व्यवस्था प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अतिरिक्त प्राविधान

(ज) खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा-21(1) (2) (4A) धारा-22 एवं धारा-23 A, 23 B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी (अपने अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत)/तहसीलदार (अपने अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत)/ खान अधिकारी, ज्येष्ठ खान अधिकारी/उप निदेशक, खनन एवं मुख्य खान अधिकारी/संयुक्त निदेशक खनन (अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत), निदेशक/अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई तथा शासन द्वारा समय-समय पर अधिकृत अधिकारी।

वाहनों के प्रकार के अनुसार निम्नानुसार अवैध परिवहन का शमन किया जायेगा :-

क्र0 सं0.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाला अर्थदण्ड (₹ में)	अधिरोपित की जानी वाली रायल्टी का गुणांक (₹ में)
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	25,000	वाहन में लदा हुआ खनिज की रायल्टी का एक गुना
2.	06 पहिया यूटीलिटी	35,000	वाहन में लदा हुआ खनिज की रायल्टी का दो गुना
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	50,000	वाहन में लदा हुआ खनिज की रायल्टी का दो गुना
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	75,000	वाहन में लदा हुआ खनिज की रायल्टी का दो गुना
5.	06 पहिया ट्रक	1,00,000	वाहन में लदा हुआ खनिज की रायल्टी का तीन गुना
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक, डम्पर, हाईवा आदि हेतु	2,00,000	वाहन में लदा हुआ खनिज की रायल्टी का पांच गुना
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	खुदान का आंकलन पृथक से किया जायेगा।
8.	पोक लैण्ड	2,00,000	खुदान का आंकलन पृथक से किया जायेगा।

2- जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी (अपने अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत)/तहसीलदार (अपने अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत)/खान अधिकारी, ज्येष्ठ खान अधिकारी/उप निदेशक, खनन एवं मुख्य खान अधिकारी/संयुक्त निदेशक खनन (अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत), निदेशक/अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई तथा

शासन द्वारा समय–समय पर अधिकृत अधिकारी अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहनों का शमन करने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जनपदीय कार्यालय/मुख्यालय से रवन्ना बुक/चालान बुक अग्रिम रूप से प्राप्त करेंगे।

2.1 रवन्ना बुक/चालान बुक निर्गत किये जाने वाले विभागीय अधिकारी द्वारा उक्त बुकों पर सील इंगित की जानी अनिवार्य होगी। उक्त प्रयोजन हेतु निर्गत एवं प्रयुक्त की गयी रवन्ना/चालान बुक की प्राप्तियां एक वर्ष तक संरक्षित रखी जायेंगी।

2.2 अवैध परिवहन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की गयी बुक विभागीय अधिकारी को वापस की जायेगी।

2.3 अवैध परिवहन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा शमन के उपरान्त वसूली गयी धनराशि को चालान के माध्यम से जमा कराते हुए रवन्ना/चालान प्रपत्र पर ट्रेजरी चालान संख्या, दिनांक, वसूली गयी धनराशि एवं तालिका में इंगित वाहन का प्रकार हस्ताक्षर सहित प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित की जायेगी।

2.4 अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहन का मौके पर शमन करते हुए वसूली गयी धनराशि को विभागीय सुसंगत लेखाशीर्षक 0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 102–खनिज रियायती शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में जमा किया जायेगा।

2.5 अवैध परिवहन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये चालान एवं जमा की धनराशि का विवरण भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के कार्यालयों तथा जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव।

__पृष्ठांकन संख्याः 1590(1)/VII-1/2015/158–ख/2004, तद्दिनांकित।__

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सर्तकता इकाई, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त उप निदेशक, खनन/भूविज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड सम्बन्धित जनपद।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां औद्योगिक विकास अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एस0 भाकुनी)
उप सचिव।